Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 7.384
Volume - 8, Issue - 5, May - 2025

DOIs:10.2018/SS/202505019 --:-- Research Paper / Article / Review

बाल विवाह के संबंध मे बापू के विचार एवं वर्तमान का विश्लेषण
(सरगुजा संभाग के संदर्भ में)

बिकलेस कुमार गुप्ता
सहायक प्राध्यापक , राजनीति विज्ञान
शासकीय नवीन महाविद्यालय कमलेश्वरपुर मैनपाट जिला सरगुजा छत्तीसगढ़
Email - Biklesgupta42@gmail.com

सारांश : वर्तमान के इस दौर में स्त्री,पुरुष,बालक,बालिकाएं सभी आगे निकलने की होड़ मे लगे हुए हैं। कोई पीछे नहीं रहना चाहता, और अपनी मंजिल को पाने के लिए अग्रसर हैं। फिर भी कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर विकास की संभावनाएं सफल नहीं होती, प्रशासन और सरकार की गतिविधियां उस क्षेत्र विशेष में पहुंच नहीं पाती जिसके कारण से ऐसे कई घटनाएं घटित हो जाती हैं।जो हमें इस युग में सोचने को विवश कर देती है।कि हम वही डिजिटल युग में है, कि वही पुरानी सडी,गली मानसिकता वाले युग में जहां माता, बहने, युवा लड़के, लड़कियां, सभी घिसी पिटी मानसिकता के प्रभाव में आकर अपने जीवन को बर्बाद कर बैठती है और यह दूषित समाज का अनुचित प्रथा भी उन्हें ऐसा करने के लिए विवश कर देती है। जिसमें से एक यह सामाजिक कुप्रथा "बाल विवाह "है जिसमें लड़की का उम्र 18 वर्ष और लड़के का उम्र 21 वर्ष से कम हो और इसी बीच उनका विवाह हो जाना बाल विवाह है अर्थात कम उम्र में ही बालिका हो या बालक का विवाह कर दिया जाना ही, हम इसे दुष्ट परंपरा कहेंगे क्योंकि एक बालक और बालिका को अपने बारे में और समाज के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। विवाह की क्या जीमेदारिया है पता नहीं, फिर भी वह इस परंपरा के चपेट में आ जाते हैं और उन्हें इन सामाजिक नियमों का पालन करते हुए बाल विवाह को स्वीकार करना पड़ता है व यह प्रथा कोई आज या कल की प्रथा नहीं है। बल्कि कई वर्षों से चली या रही है।आज भी ग्रामीण परिवेश मे सरगुजा संभाग के पिछड़े जातियों मे बाल विवाह देखने को मिल जाता है,व गांधी जी इस बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध थे जो इस लेख का विषय है ।

मुख्य शब्द: बाल विवाह, कुप्रथा, शारीरिक, मानसिक, निषेध ।

शोध विधि- इस शोध लेख को तैयार करने के लिए विभिन्न पुस्तक, पत्रिकाएं,समाचार पत्रों, ऑनलाइन लेख एवं आसपास के समाजिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ।

शोध का उद्देश्य- इस शोथलेख का उद्देश्य से बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक बुराई के विषय में जानकारी एवं जागरूकता प्रदान करना है।

गांधी जी के अनुसार बाल विवाह

गांधी जी बाल विवाह को मानव जीवन के लिए अहितकर और अनैतिक एवं अमानवीय प्रथा मानते थे तथा इस प्रथा का घोर विरोध किए । यह एक ऐसी प्रथा थी,जिसमें महिला, पुरुष, व समाज ऐसे कृत्य करने पर विवश हो जाते थे| वह यह नहीं देखते हैं कि बालक एवं बालिका मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विवाह के बंधन के लिए तैयार है कि नहीं,एक बालक और एक बालिका विवाह के पश्चात होने वाली जिम्मेदारियों व इससे होने वाले दुष्परिणाम से ग्रसित हो जाते हैं। गांधी जी जानते थे कि इस भयानक कष्ट दायक प्रथा से लड़कियां, स्त्रियां आर्थिक,मानसिक और शारीरिक जटिलताओं का सामना करती हैं। इसलिए बापू पुत्र एवं पुत्री को सदैव समान दृष्टि से देखना चाहते थे। उनके अनुसार महिलाओं को सशक्त बनना और बनाना था। बालिकाओं को कम उम्र में एवं अपने से बड़े उम्र के पुरुष के साथ विवाह हो जाना और पति की मृत्यु हो जाने पर विधवा के रूप में जीवन यापन करना कहीं ना कहीं गांधी जी को यह सब कारण विचलित करता रहा । तब तो गांधी जी ने महिलाओं के संबंध में "अबला" जैसे कहे जाने वाले शब्द का विरोध किये व महिलाएं "अबला"ना रह सके ना बन सके, जिस कारण से ही बापू महिलाओं के साथ होने वाले अनेक ऐसे प्रथा को समाप्त करने के लिए अपने प्रयास लगातार करते रहे। लोगों में जागरूकता अभियान चला कर इस प्रथा के विरोध में आवाज उठाकर महिलाओं की स्थिति के स्तर को सुधारने का प्रयास किये। [4]देश में बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 पारित किया गया जिसमें गांधी जी की पूर्ण भागीदारी रही।

वर्तमान दृष्टिकोण

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की अंतर्गत लड़के का उम्र 21 वर्ष और लड़की का उम्र 18 वर्ष से नीचे हो और उन में विवाह कर दिया गया हो या बाल विवाह कराया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में यह बाल विवाह की श्रेणी में आते हुए यह एक गंभीर अपराध होती है और इस अपराध को करने वाला चाहे लड़के का या लड़की का माता-पिता ही क्यों ना हो समाज के अन्य नागरिक या फिर उस विवाह में शामिल समस्त लोग इस अपराध के हकदार होते हैं, किन्तु यदि इनका उम्र 18 वर्ष और 21 वर्ष से ऊपर हो तो यह अपराध के श्रेणी में नहीं आता।

छत्तीसगढ़ सरकार बाल विवाह को समाप्त करने के लिए बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चला रही है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के समस्त जिले भी इस अभियान में अपनी भागीदारी का निर्माण कर रहे हैं। बाल विवाह एक ऐसा समाज का दूषित कलंकित प्रथा है । जिससे लाभ नहीं बल्कि हानियाँ ही हानियां समाज के उन छोटे बच्चों लड़को और लड़कियों को भुगतनी पड़ती है। जिन्हें ना तो उनका जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है ना तो समाज में वह अपनी एक सही रूप से जवाबदारी प्रस्तुत कर पाते हैं और ना ही पूरे राज्य में उनकी यह सहभागिता नजर नहीं आती है। वह भी कैसे हो सकती है यदि कम उम्र में ही विवाह हो जाए, जिस उम्र में उन्हें जिम्मेदारियां का एहसास ना हुआ हो एवं वे ठीक से शिक्षा ग्रहण कर ना पाए हों,ना तो उनकी मानसिक स्थिति परिपक्व नहीं हुई हो तो समाज में उनकी कल्याण की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह बाल विवाह प्रथा समाज के उन ग्रामीण क्षेत्रों पिछड़ी जातियों में देखने को अधिक मिलती है। जहां वही पुरानी रूढ़िवादी प्रथा आज भी विधमान है। जहां पर बच्चे जैसे ही बड़ा हो जाए वैसे ही उसकी विवाह की चिंता घर वालों को सताने लग जाती है। बिना बच्चों के सहमति के बिना ना उनकी स्थिति को देखते हुए विवाह के बंधनों में शामिल कर लिया जाता है। बच्चे अपने माता-पिता की इस फैसले को चुनौती देने में भी असमर्थ होते हैं। और कम उम्र मे ही विवाह मे फस कर विकास के दिशा से भटक जाते है | किंतु शासन के द्वारा ऐसे जागरूकता अभियान लगातार समय-समय पर संचालित किए जाते हैं। जिससे यह घटना इन बच्चों के साथ घटित ना हो महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर "1098" चलाई जाती है। जिसमें कोई भी नागरिक जिसे यह जानकारी लग जाए कि किसी बच्चे का, नाबालिक का विवाह कराया जा रहा है।तो इसमें जानकारी देकर विवाह को रुकवा सकता है शैक्षणिक संस्थानों में भी बच्चों को इस विषय पर जानकारी दिया जाता है।

लेकिन धरातल पर यह नियम होते हुए भी नाबालिग बालक, बालिकाओं के साथ इस आधुनिक युग में ऐसा कृत्य देखने को मिल जाता है। जहाँ पर चोरी छिपे गाजा, बाजा के साथ शादी करते हुए पकड़ाते है और हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कि क्या हमारा देश इसीलिए स्वतंत्र हुआ था। इसीलिए देश के लिए संविधान बनाए गए थे, क्या बापू के यही विचार थे तो सदैव हमारे मन में ना की भावना होगी व बच्चों के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर देना हमारे पूर्वजों के आदर्शों का परिचायक नहीं है। शासन के इन नियमों का पालन ही नहीं, कोई करेगा तो फिर हम इस नवीन लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए उसके साथ देने के लिए कहां सहयोग कर पाएंगे आज के इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के समय में जहां पर प्रत्येक इंसान हर इंसान से आगे निकलना चाह रहा है और आगे निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। जबकि उसके जीवन में अनेक सारी मुसीबतें देखने को मिलती है कोई सोच कर भी नहीं सोच सकता की बाल विवाह कुप्रथा जो पुरातन समय में थी। वह आज भी ग्रामीण क्षेत्रों एवं पिछड़े जातियों में यथावत देखने को मिलती है। हम आए दिन विभिन्न समाचार पत्रों, खबरों में लोगों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा इस बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए देखें जाते हैं। यह सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है यहां की भूमि अपने प्राकृतिक सौंदर्य, नदी,पर्वतों और पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी हुई है। यहां पर अधिकांश जनजातीय समुदाय का बसेरा रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जो अत्यंत दुर्गम हैं । जहां पर यह बाल विवाह से संबंधित घटनाएं घटित हो जाती है ।सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा में यह सारी बाल विवाह से संबंधित घटनाएं सुनने को और देखने को मिल जाती है। छत्तीसगढ़ "जनसंपर्क विभाग के लेख में वर्णित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट-05 के अनुसार सूरजपुर में 34.28% बलरामपुर24.60%जशपुर 21.90%कोरिया 22.89% बाल विवाह के आंकड़े विधमान है" जिसे बाल विवाह मुक्त करना छत्तीसगढ़ शासन का लक्ष्य रहा है। इसलिए विभिन्न संस्थाओं के द्वारा इस कुप्रथा की रोकथाम के लिए अभियान, रैलिया, जन जागरूकता, शैक्षणिक और अशैक्षणिक बाल विवाह के रोकथाम से संबंधित गतिविधियां, औपचारिक या अनौपचारिक सभी रूपों में योजनाबद्ध रूप में कार्य निष्पादन किया जा रहा है। जिसमें समाज के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सहभागिता अनिवार्य रूप से ली जा रही है। बाल पन में होने वाली इस तरह के हानियां की जानकारी को समाज के और दूरस्थ अंचल क्षेत्र में रहने वाली निवासियों को पहुंचाया जा रहा है । और नाबालिक बच्चों के विवाह की सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही भी की जा रही है जैसे छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के अनुसार "सूरजपुर जिले में 15 फरवरी 2024 को जिला प्रशासन की पहल से तीन बच्चों के बाल विवाह को रुकवाया गया" इसी प्रकार जिला बलरामपुर में भी 18/2/2025 जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ के लेख के अनुसार "बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर विवाह को रुकवाया गया और समाज के लोगों को समझाइस दी गई" [1]इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार इस प्रथा को पूरे जिले से समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रयास लगातार कर रही है एवं बाल विवाह मुक्त अभियान चला कर लोगों को इस मुहिम में शामिल कर रही है । नागरिकों का भी अपना यह कर्तव्य है कि वह भी शासन की इस पहल में जोरों- शोरों से साथ देवे ।

[1] https://dprcg.gov.in/post/1710076096/Raipur-Chief-Minister-Shri-Vishnudev-Sai-launched-the-child-marriage-free-Chhattisgarh-campaign

बाल विवाह होने के कारण-

सामान्य रूप से बाल विवाह होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। जिस कारण से यह कुप्रथा हो सकती है। हम यह नहीं कह सकते कि सदैव इसमें लड़का या लड़की के माता-पिता की सहभागिता हो सकती है। हो सकती है कि बच्चों के माता-पिता इतने सक्षम नहीं होते जिस कारण से यह कुप्रथा वंचित जातियों में देखने को मिल जाती है जैसे गरीबी और अशिक्षा, लड़का और लड़की में अंतर,जात, समाज का दखल और अन्य कारण बाल विवाह को बढ़ाने का कार्य करती है।

सुझाव इस प्रकार हो सकते हैं ।

बाल विवाह को जड़ से खत्म करने के लिए समाज के उन दुरुस्त क्षेत्र में जहां पर आज भी यह सामाजिक प्रथा विद्यमान है। ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान, शिक्षा,गरीबी को दूर करने का प्रयास और नियमों और कानून की भली भांति बच्चों को समय-समय पर देते रहना चाहिए , समय से पूर्व गर्भावस्था, गर्भपात जैसे दुष्परिणाम को पालकों को जानकारी प्रदान करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि ऐसी कुछ घटनाएं समाज में घटित होती है। तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग को आगे निकलकर बाल विवाह को रोकना चाहिए।

निष्कर्ष

इस प्रकार से बाल विवाह और महात्मा गांधी के बाल विवाह से संबंधित अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है| कि बाल विवाह एक दुष्ट प्रथा है जिसमें बालक और बालिका समाज के इस भयावह प्रथा की वजह से अपनी जीवन नर्क में न्योछावर कर बैठते हैं| उन्हें कम उम्र में ही बालकपन और बालिका पन में बच्चे का संतान उत्पत्ति जैसे और गंभीर रोग मानसिक विकार, शारीरिक कष्ट, इन सभी परेशानियों से गुजरना पड़ता है व कभी-कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है ।क्योंकि ना तो इन्हें शारीरिक एवं मानसिक समझ होती है ना तो इन्हें परिवार की जिम्मेदारियां का एहसास होता है। यह तो स्वयं लड़कपन की अवस्था में रहते हैं जिन पर माता-पिता का देखरेख की जरूरत होती है। बाल विवाह कम उम्र में ही हो जाने पर बच्चों में मनमुटाव की स्थितियां आत्महत्या जैसे विचार से भी सामना करना पड़ता है। कुल रूप से कहा जाए तो प्रत्येक हर उस इंसान के गतिविधियों को रोक लगा देनी चाहिए, जो बढ़ते हुए इन बालक और बालिकाओं की इच्छाओं को दमन करने की कोशिश करते हैं। एवं अल्प आयु में ही बच्चों को विवाह के दलदल में धकेल देने का कार्य करते हैं। निश्चित रूप से यह सामाजिक कुप्रथा समाज के इन पिछड़े हुए जातियों में आने वाले कई वर्षों के पश्चात देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह बाल विवाह के प्रतिशत को कम करना शासन का और पढ़े-लिखे समाज के नागरिकों के योगदान से अवश्य देखने को मिलेगा । इस तरह से हम कहें तो बाल विवाह बच्चों के लिए एक अभिशाप से कम नहीं और ऐसी दुष्ट परंपरा समाज मे सदा के लिए समाप्त हो जानी चाहिए |

संदर्भ सूची

1. ***https://www.drishtiias.com/hindi/blog/child-marriage-in-discussion***
2. *गांधी,महात्मा -आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग*
3. *https://www.mkgandhi.org/articles/gender_equality.php*
4. *https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/prohibition-of-child-marriage-act*
5. *https://en.m.wikipedia.org/wiki/Child_Marriage_Restraint_Act*
6. *https://dprcg.gov.in/post/1710076096/Raipur-Chief-Minister-Shri-Vishnudev-Sai-launched-the-child-marriage-free-Chhattisgarh-campaign*
7. *छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग*
8. *https://dprcg.gov.in/post/1739882634/बलरामपुर-बाल-विवाह-कानूनी-अपराध*
9. *प्रभु,आर. के. तथा राव, यू. आर. नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (1994)-महात्मा गांधी के विचार*
10. *दैनिक भास्कर*
11. *नव भारत*
12. *हरि भूमि*
13. *Vikaspedia29/12/2023*
14. *सुंदरम,डॉ के श्याम एवं शर्मा, डॉ सीपी -राजनीतिक चिंतन तथा तुलनात्मक शासन एवं राजनीति - प्रकाशक राम प्रसाद एंड सन्स*
15. *मुखर्जी, रोमा(2015)- महिलाओं के उत्थान एवं विकास में गांधी जी की प्रासंगिकता एवं भारतीय कानून (इंडियन स्ट्रीम्स रिसर्च जर्नल)*
16. *सरगुजा प्रशासन*